I/686686/2024

महत्वपूर्ण

संख्या 91 प0म0/मैतीस-2-2024-30(4)/2023

प्रेषक,

रविन्द्र

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 09 जुलाई, 2024

विषय- वर्षा ऋतु के दृष्टिगत गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश का सरक्षण एव भरण-पोषण हेतु सरकार कृत सकल्प है। वर्षा ऋतु के दृष्टिगत गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों की सुरक्षा एवं बचाव किये जाने के निर्देश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये हैं। बारिश के मौसम में गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशो की सुरक्षा एवं बचाव हेतु मा0 मंत्री, पशुधन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2024 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है -

(1) बारिश के मौसम में गो आश्रय स्थलो पर कोई भी गाय कीचड में न रहे एव उनके बैठने के लिए पर्याप्त सूखी जगह की व्यवस्था की जाए।

(2) निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थल तक पहुँचाने का काम किया जाए यह भी ध्यान रखा जाय कि कोई भी गोवंश भूखा न रहे।

(3) गो आश्रय स्थलों में कच्ची जमीनों पर शेड व पेडों के नीचे खण्डेजे लगाये जाए, जिससे गायों को बारिश मे बैठने के लिए सूखा स्थान मिल सके।

(4) जिन गो आश्रय स्थलों में बारिश का पानी भर जाता है उनमें रहने वाले गोवंश की वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाए।

(5) गो आश्रय स्थलों में चारे को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए, जिससे वह बारिश के पानी से भीगे नहीं।

(6) समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जिले में अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिकारियों से समन्वय कर संरक्षित गोवंश हेतु आवश्यक कार्यवाही/वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

(7) समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपद के कृषि/अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर गोवंशो हेतु हरा चारा तथा नेपियर घास उगाये जाने का अभियान चलाया जाए।

(8) गो आश्रय स्थलो पर सौर ऊर्जा द्वारा रोशनी की व्यवस्था की जाए।

(9) जनपदों मे विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश को अभियान चलाकर गो आश्रय स्थलो मे संरक्षित किया जाए।

(10) शासनादेश संख्या 2562/सैंतीस-2-2023-5(53)/2018टीसी-5 दिनांक 31.10.2023 द्वारा 06 विभागों की टीम यथा- पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग एवं पशुधन विभाग द्वारा अभियान चलाकर शतप्रतिशत गोवंश संरक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जनपद में विचरण कर रहे निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में उक्त विभागों की बैठक कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

(11) गोवंशों के उपचार हेतु पर्याप्त औषधियों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

(12) मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से जनपद में निराश्रित गोवंशों का डाटा एकत्र किया जाय।

(13) गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश की अनिवार्य रूप से टैगिंग की जाय।

(14) निर्माणाधीन गो आश्रय स्थल/केन्द्रों का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए।

(15) पूर्ण गोशालाओं का लोकार्पण कर तत्काल संचालन सुनिश्चित किया जाए।

(16) जिन गो आश्रय स्थल/केन्द्रों का कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया है उनकी कमेटी बनाकर जाँच की जाए।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Ravinder
Date: 08-07-2024 16:45:03

(रविन्द्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या 91 प0म0(1)/सैंतीस-2-2024 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।